मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक: निर्णय दिनॉक: अवधि:
08/18/17 02/19/20 2 वर्ष, 6 माह, 1 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष माह/दिनॉक/वर्ष

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या–345/2017

1. श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व. बिन्द्रावन उम्र 39 वर्ष,
2. बुद्ध सिंह पुत्र स्व. बिन्द्रावन उम्र 21 वर्ष,
3. हरिओम पुत्र स्व. बिन्द्रावन उम्र 20 वर्ष,
4. रामदास पुत्र स्व. डमरू उम्र 79 वर्ष,
5. सरस्वती पत्नी श्री रामदास उम्र 74 वर्ष,
निवासियान ग्राम– परगहना, पोस्ट– रेव, तहसील– मोठ, जिला– झाँसी उ. प्र.

––––––––––याचीगण।

(द्वारा अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता)

प्रति

1. सूरज पाल उर्फ सूर्यपाल पुत्र श्री ग्याप्रसाद निवासी दोस्ती नगर, थाना उन्नाव, जिला उन्नाव, उ. प्र.

.....चालक ट्रक सं. UP 42BT 4343

2. घनश्याम जायसवाल पुत्र श्री सुरेशचन्द्र जायसवाल निवासी 915, खवासपुरा, थाना कोतवाली फैजाबाद, जिला फैजाबाद, उ.प्र.

.....पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. UP 42BT 4343

3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, फैजाबाद जरिये मण्डलीय प्रबन्धक यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नन्दनपुरा चौराहा, इलाहाबाद बैंक के ऊपर, झाँसी, जिला झाँसी, उ.प्र.

.....बीमाकर्ता ट्रक नं. UP 42 BT 4343

(द्वारा अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सिंह)

––––––––––विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में बिन्द्रावन की मृत्यु के कारण ₹49,00,000/– क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची सं. 1 के पति व याची सं. 2 व 3 के पिता तथा याची सं. 4 व 5 का पुत्र बिन्द्रावन दिनॉक 24.07.2017 को सोनू के साथ मोटर साइकिल नं. UP 93J 1550 (प्रथम वाहन) पर पीछे बैठकर अमरा पेट्रोल पम्प से डीजल लेकर अमरा की ओर जा रहा था। मोटर सायकिल को सोनू सावधानी पूर्वक धीमी गति से अपने बायें हाथ पर सड़क के किनारे चला रहा था। सायं करीब 4.00 बजे उक्त मोटर साइकिल अमरा पेट्रोल पम्प से थोड़ा ही आगे निकली थी कि उसी समय पीछे से ट्रक नं. UP 42 BT 4343 (द्वितीय वाहन) अत्यधिक तेजी व लापरवाही पूर्वक चिरगॉव की ओर से आया और उक्त मोटर साइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटर साइकिल चालक सड़क के किनारे कच्चे में गिर गया, बिन्द्रावन उछलकर सड़क पर गिर गया तथा उक्त ट्रक के चालक ने बिन्द्रावन के सिर के ऊपर से ट्रक का पहिया निकाल दिया जिससे बिन्द्रावन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना की सूचना याची सं. 5 ने थाना मोंठ में दी। विवेचनाधिकारी ने द्वितीय वाहन ट्रक नं. UP 42 BT 4343 के चालक

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 11:15:31 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। मृतक की घटना के समय आयु 39 वर्ष थी तथा वह ड्राईवरी करके ₹15,000/– प्रतिमाह कमा लेता था।

3. विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है।

4. विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 18B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गये हैं कि कथित दुघर्टना के दिनॉक व समय पर विवादित ट्रक के चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था इस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

5. विपक्षी संख्या 1 पर दिनांक 08.03.2018 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा का तामीला पर्याप्त अवधारित किया गया। तत्पश्चात पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 14.05.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

1. क्या दिनॉक 24.07.2017 को याचिया के पति बिन्द्रावन, सोनू की मोटर साइकिल पर पीछे बैठकर अमरा पेट्रोल पम्प से डीजल लेकर अमरा की ओर आ रहा था, सायॅ करीब 4.00 बजे मोटर साइकिल अमरा पेट्रोल पम्प से थोड़ा ही आगे निकली थी तो उसी समय पीछे से ट्रक नं. U.P. 42BT 4343 अत्यधिक तेजी व लापरवाहीपूर्वक चिरगांव की ओर से आया और टक्कर मार दी जिससे याचिया के पति बिन्द्रावन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी?

2. क्या दुर्घटना दिनॉक 24.07.2017 को प्रश्नगत ट्रक नं. U.P. 42BT 4343 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था ?

3. क्या प्रश्नगत वाहन दुर्घटना दिनॉक 24.07.2017 को विपक्षी सं. 3 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पपनी लिमिटेड, नन्दनपुरा चौराहा, इलाहाबाद बैंक के ऊपर, झाँसी के यहॉ से विधिवत् बीमित था?

4. क्या याचीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितनी और किससे?

5. अन्य अनुतोष?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः–

1. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 11 सी1/2 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, याचीगण के आधार कार्ड, पंजीयन प्रमाणपत्र ट्रक व बीमा पालिसी ट्रक की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 22 सी1 के माध्यम से 22 सी1 लगायत 23 सी1 प्रपत्र छाया प्रति विपक्षी सं. 1 पर तामीला के विषय मे सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रार्थनापत्र व उस पर जवाब मूल रूप मे,

3. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 20 सी1 के माध्यम से 21 सी1/1 लगायत 21 सी1/20 जिनमें प्रश्नगत ट्रक के पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी व चालक सूर्यपाल के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतियॉ व प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त वाहन, जमानत प्रार्थनापत्र की सत्य प्रतिलिपियॉ व मिक्सर के पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ व मृतक बिन्द्रावन के डी.एल. की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

4. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 27 सी1 के माध्यम से 27C1/2 नेट से प्राप्त वाहन रजिस्ट्रेशन विवरण,

5. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 32सी1 के माध्यम से 33सी1/1 लगायत 33सी1/5 जिनमें प्रश्नगत ट्रक के असल परमिट व विपक्षी सं. 1, 2, 4 व 5 के पैन कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

6. याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW1 के रूप में याची बुद्ध सिंह एवं PW2 के रूप में श्याम लाल को परीक्षित कराया गया है,

7. विपक्षीगण की ओर से कोई अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

9. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>**

वाद बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में चक्षुदर्शी PW2 जिसे आरोप पत्र मे भी गवाह बनाया गया है ने यह कथन किया है कि वह दिनॉक 24.07.2017 को दुर्घटनास्थल के पास था। इस साक्षी ने कथन किया है कि ट्रक नंबर UP 42BT 4343 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे मृतक जो कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था उछलकर सड़क पर गिरा और उसके सिर पर ट्रक का पहिया चल गया और उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सिर पर ट्रक का पहिया चल जाने पर दर्दनाक मृत्यु का समर्थन होता है। दुर्घटनास्थल का नक्शा नजरी देखने से स्पष्ट होता है इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की भी कुछ लापरवाही रही है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है–

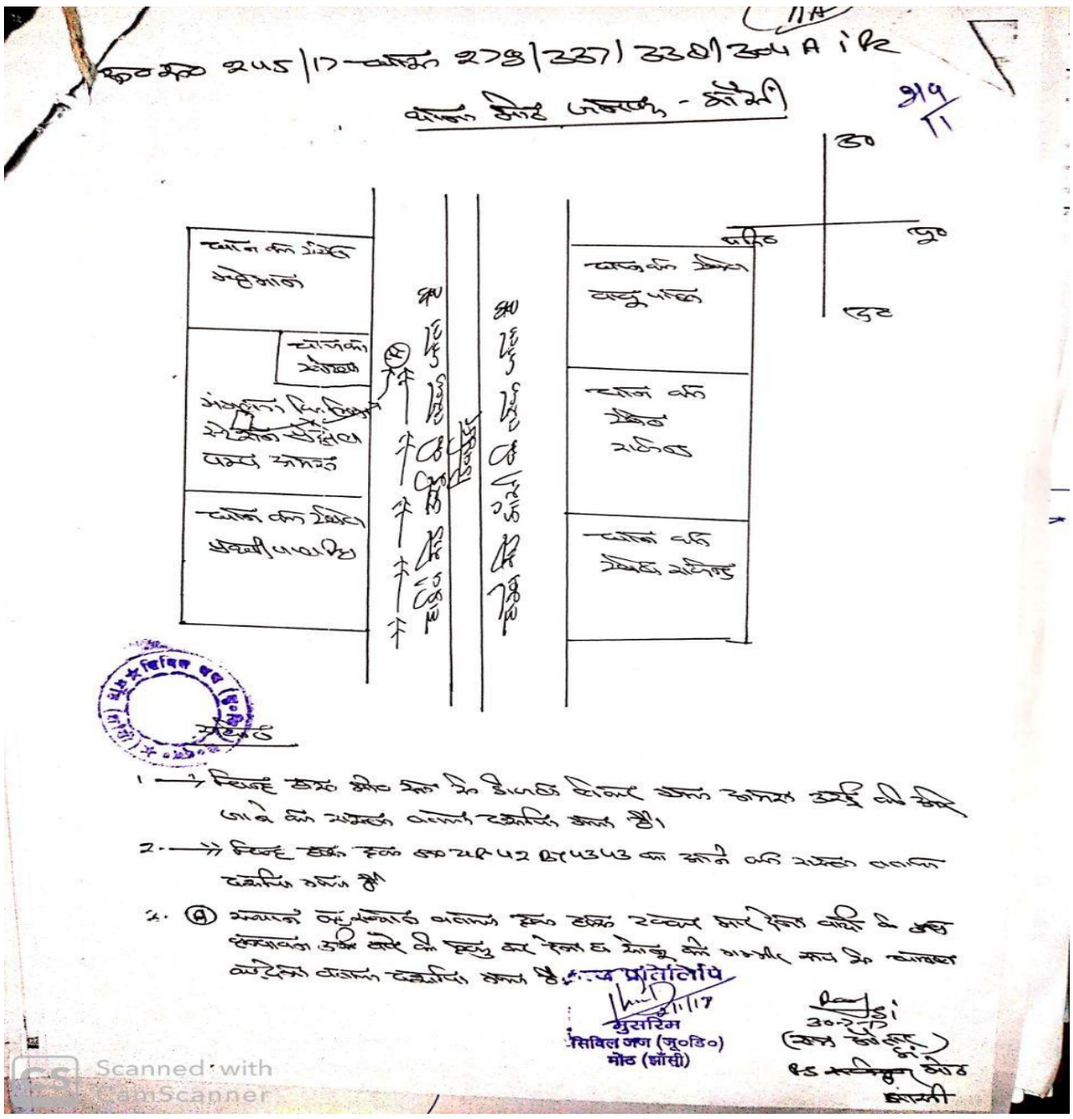

Scanned with CamScanner

उक्त नक्शा नजरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को पेट्रोल पंप से अचानक रोड पर लाया है और ट्रक चालक उसे बचाने के लिए ट्रक को थोड़ा अपने दाएं तरफ भी ले गया है। ट्रक भारी वाहन होता है और उसे अचानक ब्रेक लगाकर रोका जाना भी इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता है। प्रति परीक्षा में PW2 ने यह बात स्वीकार भी की है कि वह पेट्रोल पंप से सड़क की ओर आ रहा था और मोटरसाइकिल चालक उसके बगल से आगे निकले। मोटरसाइकिल ट्रक के बाएं तरफ टकराई थी। मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप से लगभग 50 फीट ही चल पाई थी और दुर्घटना हो गई। मोटरसाइकिल चालक की उम्र 25–30 वर्ष होगी। उसे यह नहीं पता कि मोटरसाइकिल चालक सोनू के पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस है या नहीं। पत्रावली पर मोटरसाइकिल चालक सोनू का ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना इस बात का अनुमान देता है कि मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को ठीक से चलाना नहीं जानता था। न तो मोटर साईकिल चालक को परीक्षित कराया गया है और न ही ट्रक चालक उपस्थित आया है। भारी वाहन की जिम्मेदारी हल्के वाहन की अपेक्षा अधिक होती है। भारी वाहन के चालक को सदैव अधिक सावधानी से वाहन को चलाना चाहिए। ट्रक चालक को पेट्रोल पंप के पास अपने वाहन को इतने नियंत्रण में चलाना चाहिए था कि यदि कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप से अचानक सड़क पर आ जाए तो उसे बचाया जा सके। आरोप पत्र भी ट्रक चालक के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। इन परिस्थितियों में मै इस निष्कर्ष का हूँ कि ट्रक चालक की उपेक्षा 75 प्रतिशत की है और उसमें 25 प्रतिशत की योग दाई उपेक्षा मोटरसाइकिल चालक की भी है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या एक निर्णीत किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 21C1/3 ट्रक चालक सूर्यपाल की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनॉक 27.11.2017 से 21.07.2026 तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 24.07.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रक नं. UP 42BT 4343 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 21C1/2 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रैक इंजन सं. HEPZ114790, चेसिस सं. MB1UPKHDXHPEY3530 का बीमा दिनॉक 31.03.2017 से 30.03.2018 तक प्रभावी है। प्रपत्र सं. 21C1/1 आर.सी. के अनुसार उक्त इंजन सं. व चेसिस सं. ट्रक नं. UP 42BT 4343 के रूप मे पंजीकृत है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 24.07.2017 की है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

चूंकि दुर्घटना ट्रक नं. UP 42BT 4343 के चालक की 75 प्रतिशत लापरवाही के कारण हुयी है और दुर्घटना में याची सं. 1 के पति, 2 व 3 के पिता व 4 व 5 के पुत्र की मृत्यु हुयी है। PW1 ने इन समस्त लोगों को मृतक पर निर्भर होना बताया है। हलॉकि याची सं. 4 के मृतक के अतिरिक्त दो पुत्र और हैं किंतु इनकी निर्भरता का खंडन नही हो पाया है। अतः

याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

13. <u>क्षतिपूर्ति की गणना–</u>

PW1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने पिछले 6–7 वर्ष से जेसीबी/मिक्सर चालन से मृतक की आय ₹15,000 प्रति माह बताई है किंतु इस संबंध में न तो जेसीबी/मिक्सर स्वामी को परीक्षित कराया गया है, न ही कोई स्वतंत्र साक्षी है और न ही वेतन का कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मृतक के पास मात्र भारी वाहन की चालन अनुज्ञप्ति थी जिससे यह उपधारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा की मृतक की आय ₹15,000 मासिक थी इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 – SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹165 निर्धारित की जाती है।

14. PW1 ने मृतक की आयु 39 वर्ष बतायी है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मे मृतक की आयु 40 वर्ष अंकित है। मृतक की चालन अनुज्ञप्ति में जन्म तिथि 01/01/1979 दर्ज है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है। चूँकि PW1 ने मृतक की आयु 39 वर्ष बताई है जिसका खंडन नहीं हो सका है तथा 39 वर्ष की आयु का समर्थन मृतक के चालन अनुज्ञप्ति (38 वर्ष, 6 माह, 23 दिन) से भी होता है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं की मृतक की आयु 40 वर्ष से कम की थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 15 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के खर्च पर 1/4 भाग की कटौती, याचीगण के पति,पिता व पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹15,000, याचीगण की आर्थिक स्थति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ₹ 10,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	20790
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				62370
गुणक			15	935550
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	975550
संपदा की क्षति			15000	990550
अंतिम संस्कार पर खर्च			10000	**1000550**
प्रथम वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			25	250137.5
द्वितीय वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			75	750412.5
देय क्षतिपूर्ति				**750412.5**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹7,50,413 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 – SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि याची 2 अब स्वयं भी अर्जन करने लगा है तथा याची सं. 4 व 5 के दो अन्य पुत्रों के होने के आलोक मे याची सं. 1, 2, 3, 4 व 5 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 25, 20, 25, 15 व 15 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 – SC) : MANU/SC/1949/2009 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

15. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

अन्य किसी अनुतोष का मामला नही बनता है। तदनुसार यह वादबिंदु निर्णीत किया जाता है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹7,50,413 (सात लाख पचास हजार चार सौ तेरह) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे।

याची सं. 1, 2, 3, 4 व 5 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 25, 20, 25, 15 व 15 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें तथा याची संख्या 1, 2 व 3 की धनराशि का 80% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगें। याची संख्या 1, 2 व 3 की इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात धनराशि पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 22.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 22.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी